न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या 1/2019 एल.आर.एक्ट

1. रघुनाथ
2. मोहनलाल पि0 रतनाराम जाट निवासी काहिरा तहसील नोखा
3. साजनराम जिला बीकानेर ।
4. सोनीदेवी धर्मपत्नी मोहनलाल जाट निवासी काहिरा तहसील नोखा जिला–बीकानेर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा ।

रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः 1– श्री सत्यपाल सहू अभिभाषक अपीलान्ट
2– सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 31.12.19

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश क्रमांक एसडीओ/राजस्व/2016/2901 दिनांक 22.11.17, जिसके द्वारा ग्राम काहिरा पटवार मण्डल काहिरा तहसील नोखा में चल रहे प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तहसीलदार नोखा से प्राप्त होने पर 9 खसरों में प्रचलित रास्तों को उनकी खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के एवम् रास्तों को नामान्तकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से अंकन के आदेश दिये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप–6 विभाग से प्राप्त परिपत्र दिनांक 10.8.16 अनुसरण में रास्ते चिन्हीकरण अभियान वर्ष 2016 के अनुसरण में रेस्पोन्डेंट नं01 तहसीलदार (राजस्व) नोखा द्वारा ग्राम काहिरा पटवार मण्डल काहिरा तहसील नोखा के कुल प्रभावित 9 खसरों की 0.6078 हैक्टेयर भूमि का चिन्हीकरण किया जाकर राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रस्ताव मय रिपोर्ट पटवारी एवं निरीक्षक हल्का के तैयार कर पत्रांक भू.अभि/2016/1724 दिनांक 6.10.17 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोखा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया । उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के अनुसरण में तहसीलदार, नोखा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर आदेश सं0 एसडीओ/राजस्व/2016/2901 दिनांक 22.11.17 पारित करते हुए ग्राम काहिरा पटवार मण्डल काहिरा तहसील नोखा में में स्थित 7 खातेदारों की कुल प्रभावित 9 खसरों की 0.6078 हैक्टेयर भूमि के बाबत मौके पर चालू स्थाई रास्ता को उनकी खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए गैरमुमकिन रास्ते का रकबा दर्ज करने के एवम् प्रचलित रास्तों को नामान्तकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से अंकन के आदेश दिये। उपखण्ड न्यायालय नोखा के उक्त आदेश दिनांक 22.11.17 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अभिभाषक अपीलान्ट का अपील में मुख्य रुप से कथन है कि ग्राम काहिरा तहसील नोखा के खसरा नं0 810 तादादी 1.36 हैक्टेयर, खसरा नं0 811 तदादी 0.93 हैक्टेयर, खसरा नं0 812 की तादादी 1.57 हैक्टेयर अपीलान्टान सं0 1 ता 3 के नाम एवं खसरा नं0 909 तादादी 3.19 हैक्टेयर अपीलान्ट सं0 4 के नाम से दर्ज खातेदारी कृषि भूमि है, जो एक ही परिवार के सदस्यों की है । तहसीलदार नोखा द्वारा अपीलान्टान के खेतों में से रास्तों का चिन्हीकरण कर राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु प्रस्ताव उपखण्ड न्यायालय नोखा को भिजवाया गया है । जबकि ग्राम काहिरा तहसील नोखा के खसरा नं. 909 के दक्षिण सींव पर मौके पर चालू सड़क है, जिसे नक्शे में नहीं दिखाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.8.18 पारित कर अपीलान्टान के खेत खसरा नं0 810, 811, 812, 909 में राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता कायम करने के आदेश दिये हैं ।

4. हमने अभिभाषक अपीलान्ट की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानापूर्वक अवलोकन किया । अपील में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत है:–

I. उपखण्ड न्यायालय नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.17 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह प्रथम अपील दिनाक 29.1.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। भू–अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरुध्द अपील प्रस्तुत करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित है, जिसके अनुसार दिनांक 20.1.18 तक अपील प्रस्तुत करने का समय था । परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील 373 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम् के प्रार्थना एवं शपथ पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शाये हैं, उन्हें सही मानते हुए न्याय हित में अपील अपीलान्ट्स मियाद में शुमार की जाती है ।

II. प्रकरण अनुसार रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान–2016 के अन्तर्गत राजस्व (ग्रुप–6)विभाग, जयपुर द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.8.16 के अनुसरण में तहसीलदार नोखा द्वारा ग्राम कहिरा पटवार मण्डल काहिरा चल रहे प्रचलित रास्ते जो कि जमाबन्दी एवं नक्शे में दर्ज नहीं है एवम् मौके पर चालू है, के सम्बन्ध में पटवारी एवं निरीक्षक हल्का से मौके की स्थिति के सम्बन्ध में जांच करवाई गयी । पटवारी एवम् निरीक्षक हल्का द्वारा जांच करने के पश्चात मौके पर खातेदारों द्वारा कटानी रास्ता प्रस्तावित करने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें अन्य खसरों के साथ अपीलान्ट्स के खेत खसरा 810, 811, 812, 909 चालू रास्ता को कटानी रास्ता में घोषित करने का प्रस्ताव भी शामिल था । प्रकरण में पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा फर्द मौका अनुसार ग्राम काहिरा तहसील नोखा के रास्तों का चिन्हीकरण किया जाकर भू–अभिलेख में अंकन हेतु प्रस्ताव तहसील में प्रस्तुत करने पर तहसीलदार नोखा के पत्रांक 1724 दिनांक 6.10.17 द्वारा प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी नोखा को भिजवाये जाने पर उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के अनुसरण में धारा 131, 132 एवं 136 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत तहसीलदार, नोखा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर आदेश सं0 राजस्व/ 2901 दिनांक 22.11.17 पारित करते हुए ग्राम काहिरा पटवार मण्डल काहिरा में स्थित अपीलान्टान के खसरा नं0 810 की 0.0510, 811की 0.0276, 812 की 0.0600 एवं 909 की 0.0876 हैक्टेयर कुल 4 खसरों एवम् अन्य 5 खसरा नं. की भूमि के बाबत मौके पर चालू स्थाई रास्ता को उनकी खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के एवम् रास्तों को नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से अंकन के आदेश दिये गया है, जो नियमानुसार पारित किया गया है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

III. प्रकरण में ग्राम काहिरा तहसील नोखा के खेत खसरा नं0 815 के काश्तकार प्रार्थी साजनराम पुत्र आईदानराम जाट द्वारा जरिये अभिभाषक श्री ओ.पी चाण्डक द्वारा दिनांक 30.12.19 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10सीपीसी मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन करते हुए प्रार्थी को रेस्पोन्डेंट पक्षकार बनाया जावे । हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपील में बहस सुनने के पश्चात निर्णय की स्टेज पर इन्हें पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं समझते हैं । न्यायहित में प्रार्थी साजनराम का प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज अवलोकन हेतु शामिल पत्रावली किया गया ।

IV. प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय नोखा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.17 की पालना में तहसीलदार नोखा द्वारा 9 खसरों की भूमि में चालू स्थाई रास्ता को खातेदारों की भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर रास्तों को नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से अंकन करने के पश्चात ग्राम काहिरा के खसरा नं. 1479/812 पर एवं खसरा नं0 1481/790 के गैर मुमकिन रास्ता को बन्द करने पर न्यायालय तहसीलदार नोखा द्वारा प्रकरण सं0 33/19, 34/19 अन्तर्गत धारा–91 दर्ज किया जाकर अपीलान्ट रुघनाथराम एवं उसके पुत्र पूर्णाराम पुत्र रुघनाथराम तथा प्रकरण सं0 32/19 में बिरमाराम पुत्र परताराम जाट को अतिक्रमी घोषित करते हुए सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाने का आदेश पारित कर उसे गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल करने के आदेश दिये गये हैं । उपरोक्त खसरा नं0 1479/812 एवम् 1481/790 का गैर मुमकिन रास्ता थाना प्रभारी पांचू के सहयोग से निरीक्षक सर्किल साधूना द्वारा मौके पर उपस्थित व्यक्तियों रुबरु खुलवाया जाकर फर्द तहसीलदार,नोखा को प्रस्तुत की गयी है । उक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट होता है कि मौके पर प्रचलित रास्ता चालू है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित ही आदेश पारित किया गया है।

V. प्रकरण में रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निवारण हेतु राजस्व ग्रुप–6 विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 10.8.16 के अनुसरण में अभियान 2016 में चिन्हित किये गये रास्तों के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी नोखा द्वारा धारा 131, 132, 136 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ग्राम काहिरा पटवार मण्डल काहिरा तहसील नोखा में चल रहे 9 खसरों में प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तहसीलदार नोखा से प्राप्त होने पर उनकी खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के एवम् रास्तों को नामान्तकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में लाल स्याही से अंकन के आदेश दिये गये हैं । प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा चिन्हित रास्तों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवम् उपखण्ड न्यायालय नोखा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.17 यथावत रखा जाता है ।

5. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.12.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2020.01.14 13:44:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: